तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	70/2018 श्रीमती प्रेमदेवी V/s कैलाश	
13/8/19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र बाजयाफ्तगी पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र बाजयाफ्तगी रु. 1000/- (एक हजार रुपये) कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील प्रार्थी कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली हस्बकिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। दिनां अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	11:30

2018/00151

प्रा० पत्र वादसं०
70/2018

समक्ष न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :–

श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री मोहर सिंह जाति गुर्जर 70 वर्ष निवासी ग्राम पीपलकी, तहसील सिकराय जिला दौसा राज0

अपीलान्ट / प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश
2. जगदीश

पुत्रान श्री आनन्दा गुर्जर निवासी ग्राम गिरधरपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा राज0

अप्रार्थीगण / रेस्पोन्डेन्टस

3. नितेश सर्विस सेन्टर गिरधरपुरा जरिए निदेशक श्री विश्राम पुत्र श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कंचनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
4. ग्राम पंचायत कैलाई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कैलाई तह0 सिकराय जिला दौसा राज0
5. राजस्थान वित निगम जयपुर शाखा आगरा रोड दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक कार्यालय आगरा रोड दौसा राज0

अप्रार्थीगण / तरतीबी रेस्पोन्डेन्टस

प्रार्थना पत्र बाबत बाज दायरी

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी द्वितीय अपील प्रार्थीया द्वारा अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी सिकराय द्वारा अपील संख्या 04/2009 उनवान कैलाश बनाम जगदीश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2011 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 306 ग्राम पंचायत कैलाई दिनांक 28.10.2004 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
2. यह कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता पैरवी के लिए उपस्थित होते थे एवं उनके द्वारा प्रार्थीया अपीलार्थी को कहा गया कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी उन्हें सूचित कर बुलवा लेंगे।
3. यह कि उपरोक्त उनवानी अपील में दिनांक 11.04.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की उपरोक्त अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमाकर पत्रावली फैसल शुमार के आदेश फरमा दिये गये जिसका इल्म प्रार्थीया को कभी भी नहीं रहा। प्रार्थीया इस विश्वास में रही कि उनके अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उपस्थित होकर पैरवी की जा रही है एवं जब भी उनकी आवश्यकता होगी वे उन्हें सूचित कर बुलवा लेंगे।
4. यह कि प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से कई बार फोन द्वारा संपर्क करके अपने मुकदमे बाबत जानकारी चाही गई उन्होंने मुकदमा लम्बित होना तथा तारीख ध्यान नहीं होना

महोदयजी,
प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र हाज़िर है
आदेशार्थ